अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/229

1. लाड कंवर पत्नी स्व0 बंशीलाल जी जाति बैरागी आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. आशा पुत्री स्व0 बंशीलाल जी पत्नी रामकरण जाति बैरागी निवासी ग्राम तलावडा जिला बारां
3. मनीष आत्मज स्व0 बंशीलाल जी जाति बैरागी निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. महावीर आत्मज स्व0 बंशीलाल जी जाति बैरागी निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. राधा पुत्री स्व0 बंशीलाल जी पत्नी सुरेश जी जाति बैरागी निवासी ग्राम अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. सवित्री पुत्री स्व0 बंशीलाल जी पत्नी श्या मजी जाति बैरागी निवासी ग्राम डायरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकान जरिये तहसीलदार तहसील, दीगोद जिंला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 54/दावा/2017

1. लाड कंवर पत्नी स्व0 बंशीलाल जी जाति बैरागी आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. आशा पुत्री स्व0 बंशीलाल जी पत्नी रामकरण जाति बैरागी निवासी ग्राम तलावडा जिला बारां

3. मनीष आत्मज स्व0 बंशीलाल जी जाति बैरागी निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. महावीर आत्मज स्व0 बंशीलाल जी जाति बैरागी निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. राधा पुत्री स्व0 बंशीलाल जी पत्नी सुरेश जी जाति बैरागी निवासी ग्राम अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. सवित्री पुत्री स्व0 बंशीलाल जी पत्नी श्या मजी जाति बैरागी निवासी ग्राम डायरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

राजस्थान सरकान जरिये तहसीलदार तहसील, दीगोद जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 11.01.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2018 बहाल रखा जाता है । वादी अपीलान्ट सक्षम अधिकारी के समक्ष खातेदारी अथवा गैर खातेदारी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 11.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

11/1/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/229

1. लाड कंवर पत्नी स्व0 बंशीलाल जी जाति बैरागी आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. आशा पुत्री स्व0 बंशीलाल जी पत्नी रामकरण जाति बैरागी निवासी ग्राम तलावडा जिला बारां ।
3. मनीष आत्मज स्व0 बंशीलाल जी जाति बैरागी निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. महावीर आत्मज स्व0 बंशीलाल जी जाति बैरागी निवासी ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. राधा पुत्री स्व0 बंशीलाल जी पत्नी सुरेश जी जाति बैरागी निवासी ग्राम अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. सवित्री पुत्री स्व0 बंशीलाल जी पत्नी श्या मजी जाति बैरागी निवासी ग्राम डायरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकान जरिये तहसीलदार तहसील, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 11.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद की पुराने खसरा नम्बर 170/1 की 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 170/2 की 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 170/3 की 03 बिस्वा कुल तीन किता की 07 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि दिनांक 08.10.1980 को

वादीगण के पिता बंशीलाल आत्मज गोपाल दास बेरागी को नियमानुसार कीमतन आवंटन की गई जिसकी वादीगण द्वारा राशि जमा करवा दी गई है । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 153 रकबा 2.04 हैक्टर कायम किये गये हैं । सेटलमेंट ने उक्त भूमि सहवन से सिवायचक दर्ज कर दी जबकि उक्त भूमि पर वादीगण को मिसल संख्या 907/80 से दिनांक 14.12.2010 को गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत् पत्र जारी किया गया था किन्तु आज तक खातेदारी नहीं दी गई ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार कर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि गैर खातेदारी से वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को अन्य किसी को आवंटन नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2018 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता बंशीलाल को आवंटित की गई थी । वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.12.2010 के मिसल नं0 907/80 के तहत खातेदारी दिये जाने बाबत् जो पत्र जारी किया गया जो पेश किया गया है किन्तु प्रतिवादी द्वारा जवाब में इसे इंकार किया गया जिसके आधार पर तनकी नं0 02 वादीगण के विरूद्ध व तनकी नं0 04 प्रतिवादी के पक्ष में तय करने में विधिक त्रुटि की है । उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्टगण काबिज काश्त हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. प्रार्थी अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज में नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2043 से 2062 की प्रमाणित प्रति संलग्न है । यद्यपि उक्त दस्तावेज में साबिक खसरा नम्बर एवं हाल खसरा नम्बर के रकबे का मिलान नहीं हो रहा है परन्तु उक्त दस्तावेज राजकीय दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है जिसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता को दिनांक 08.10.1980 को आवंटित हुई थी । आवंटन कीमतन किया गया था जिसकी समस्त राशि जमा करवा दी गई थी । इसके बाद सेटेलमेंट विभाग द्वारा नये खसरा नम्बर 153 की रकबा 2.04 हैक्टर कायम किये गये और उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर दिया । वादग्रस्त आराजी पर अभी तक खातेदारी नहीं दी गई । यदि वादग्रस्त आराजी वादीगण के खातेदारी में दर्ज नहीं की गई तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश की थी इसके बावजूद तनकीयात का निर्णय गलत रूप से किया गया है । अपीलान्ट ने समस्त राशि जमा करवा दी है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि आवंटन के आधार पर हक घोषणा का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अपीलान्ट को आवंटन अधिकारी के समक्ष खातेदारी अधिकार हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2018 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2043 से 62 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2013 से 2032 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर की आराजी सरकारी सिवायचक दर्ज है । तहसीलदार के द्वारा बंशीलाल को दिये गये नोटिस की फोटो प्रति रसीद की फोटो प्रति, अतिरिक्त जिलाधीश के आदेश दिनांक 08.10.1980 की फोटो प्रति, आवंटन आदेश की फोटो प्रति संलग्न की गई हैं । इसके अलावा कुछ शपथ पत्र लाडकंवर एवं मनीष के संलग्न किये हैं किन्तु शपथग्रहिता ने अपने शपथपत्रों की ताईद नहीं की है और न ही दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की है और उक्त दस्तावेजात को प्रदर्श भी नहीं करवाया गया है ।

12. वादी अपीलान्ट ने आंवटित आराजी की खातेदारी की घोषणा के लिए दावा पेश किया है । आवंटन के उपरान्त गैर खातेदारी अथवा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवंटी को आवंटित अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और आवंटन अधिकारी नियमानसुार उनके प्रार्थना पत्र का परीक्षण कर खातेदारी अथवा गैर खातेदारी आवंटन की शर्तों की पालना करने पर प्रदान कर सकता है । आवंटन के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश नहीं किया जा सकता ।

13. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अपीलान्ट वादी का दावा खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.03.2018 बहाल रखा जाता है । वादी अपीलान्ट सक्षम अधिकारी के समक्ष खातेदारी अथवा गैर खातेदारी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है ।

15. निर्णय आज दिनांक 11.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11.1.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा